112

-1- निग0 139-IV/92

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0क्र0 /92 पुनरीक्षण

कन्हैया पुत्र सखा काछी
निवासी- ग्राम-इटोरी, तहसील-गुनौर,
जिला - पन्ना म0प्र0

विरुद्ध

1. म0प्र0 शासन
2. गुल्लुआ पुत्र भवनिया काछी
निवासीग्राम- इटौरी, तह0- गुनौर
जिला -पन्ना, म0प्र0

अपर आयुक्त सागर संभाग द्वारा प्र0क्र0
262/91-92 पुनरीक्षण में पारित आदेश
दिनांक 23-6-92 के विरुद्ध पुनरीक्षण
अन्तर्गत धारा 50 भूराजस्व संहिता .

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है:-

1. यह कि अपर आयुक्त महोदय का विवादित आदेश अवैध एवं अनुचित होकर निरस्त किये जाने योग्य है.
2. यह कि म0प्र0 कृषि प्रयोजनों (विशेष उपबन्ध) अधिनियम व 1984 में पुनरावलोकन का कोई प्रावधान नहीं है. उक्त अधिनियम एक प्रथक विधि है. तहसील न्यायालय को अपने आदेश का पुनरावलोकन करने का विचाराधिकार नहीं है. पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 17-6-87 अवैध एवं विचाराधिकार शून्य है जिसे स्थिर रखने में अपर आयुक्त महोदय ने अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है.
3. यह कि अपर आयुक्त अनावेदक को भूमि को पात्रता नहीं है. वह परिवेदित पक्षकार नहीं है और उसे अपील आदि करने का कोई अधिकार नहीं था .
4. यह कि अनावेदक अपर आयुक्त महोदय ने प्रकरण को सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचार किये बिना आदेश पारित करने में गंभीर भूल की है. आवेदक का व्यवस्थापित भूमि पर लगातार पुराना आधिपत्य चल

---2--

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 139–चार/92 जिला – पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.2.17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 262/अ–19/91–92 में पारित आदेश दिनांक 23–6–92 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार, अमानगंज द्वारा दिनांक 17–6–87 को आदेश पारित किया जाकर पूर्व आदेश दिनांक 23–12–86 को निरस्त कर प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा एस.डी.ओ. के समक्ष अपील की जिसमें उन्होंने दिनांक 28–12–87 को आदेश पारित कर नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त किया तथा आवेदक के पक्ष में व्यवस्थापन स्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्ध कलेक्टर के समक्ष निगरानी पेश की गई जो उन्होंने निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त ने स्वीकार की । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये । आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा	

निग० - 139 - iv / 92

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अनावेदक कमांक 2 परिवेदित पक्षकार नहीं है उसे अपील करने का कोई अधिकार नहीं था । आवेदक का व्यवस्थापित भूमि पर निरंत पुराना आधिपत्य है । आवेदक भूमिहीन था और उसे व्यवस्थापन की पात्रता थी । अपर आयुक्त ने उक्त तथ्यों को अनदेखा कर आदेश पारित किया गया है ।	
	4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।	
	4/ उभयपक्षों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में अभिलेख के अवलोकन के उपरांत यह पाया है कि नायब तहसीलदार ने अपने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 2-5-87 के अनुसार आवेदक का कब्जा नहीं है और इसी आधार पर पूर्व आदेश निरस्त किया गया है । उन्होंने यह भी पाया है कि आवेदक के आवेदन में उपरिलेखन कर रकबा 2 हैक्टर किया गया है । पुनरावलोकन के संबंध में उन्होंने यह पाया है कि नायब तहसीलदार द्वारा अनुमति लेकर दिनांक 17-6-87 को आदेश पारित किया है । उक्त आधारों पर अपर आयुक्त ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर नायब तहसीलदार के आदेश को स्थिर रखा गया है । प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए उनके आदेश में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती है ।	
	उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 139–चार/92 जिला – पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । पक्षकार सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हो । सदस्य	